

कार्यालय नगर परिषद खिरकिया जिला - हरदा

क्र. 462 / लोनि.शाखा / न.पं. / 2026-27

खिरकिया दि. 11/05/26


-: ऑनलाईन आमंत्रण सूचना :-

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद खिरकिया में निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु निविदा वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गयी हैं। निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर दिनांक 15/05/2026 (10.00) से दिनांक 16/06/2026 (12.30) तक क्रय कि जा सकती हैं। विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रण एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं।

क्र.	एनआई टी नं.	टेण्डर आई.डी. नंबर	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर का विवरण	अनुमानित राशि रूपये		अमानत राशि (EMD)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य अवधि
						PAC	GST			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			वार्ड क्र. 12 में रमेश बेलदार के मकान से प्रतीक (पॉवर हाउस गेट) के सामने तक सी. सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	न.प. / मद	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग आई. एस.एस.आर दिनांक 02.08.2021 से प्रभावशील	17,39,322	3,13,078	13045	2000	02 माह

नियम तथा शर्त :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक 120 दिन की होगी।
2. निविदाकार/फर्म का पंजीयन, ईपीएफ पंजीयन, जीएटी पंजीयन होना अनिवार्य हैं।
3. निविदा में अमानत राशि आनलाईन भुगतान द्वारा/डेबिट कार्य, क्रेडिट कार्ड, नेटबैंकिंग या सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा करना होगा।
4. अन्य शर्त कार्यालय के लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय पर देखी जा सकती हैं।
5. निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन <https://mptenders.gov.in> की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
6. संपादक की ओर अपने समाचार पत्र में विज्ञापित कम से कम स्पेस प्रकाशित करने का कष्ट करे।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद खिरकिया

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Harshvardhan Complex, Mata Mandir,
Chouraha, Bhopal (MP)- 462003
Email :- eebhopal@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

क्रमांक/यां.प्र./तक.स्वी./रोड/नाली निर्माण/2026/ 22
प्रति,

नर्मदापुरम्, दिनांक -
06.02.2026

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद् खिरकिया,
जिला - हरदा।

विषय:- वार्ड क्र. 12 में रमेश बेलदार के मकान से प्रतीक (पॉवर हाउस गेट) के सामने तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति।
संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 51 दिनांक 03.02.2026.

---//---

विषयान्तर्गत, सदरिभूत पत्र से द्वारा वार्ड क्र. 12 में रमेश बेलदार के मकान से प्रतीक (पॉवर हाउस गेट) के सामने तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति के प्राक्कलन का परीक्षण किया गया। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व Existing नाला/नालियों का लेबिल चेक किया जावे, जिससे निर्माण के उपरान्त पानी निकासी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही डिस्चार्ज के अनुसार नाली का सेक्शन निर्धारित किया जावे। रोड़ के किनारे नाली इस प्रकार निर्मित की जावे जिससे रोड़ के पानी की निकासी नाली के माध्यम से हो सके। निविदा लागत की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जावे। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्बंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त की जावे। सी.सी. सड़क की क्रस्ट व पेवमेन्ट डिजाईन एवं नाली निर्माण कार्य की स्ट्रक्चरल डिजाईन शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से कराकर तदनुसार कार्य कराया जावे। परीक्षण उपरान्त MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 238 के अनुसार पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है।

क्रं	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील SOR का विवरण	राशि
1	वार्ड क्र. 12 में रमेश बेलदार के मकान से प्रतीक (पॉवर हाउस गेट) के सामने तक सी.सी. रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	विशेष निधि	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 08.11.2025 प्रभावशील	17,39,322.00
			(जी.एस.टी. 18 प्रतिशत)	3,13,078.00
			कुल योग	20,52,400.00

शर्त:-

1. मध्यप्रदेश नगर पालिका (लेखा एवं वित्त) नियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. डामरीकरण के कार्य में लगने वाली सामग्री (मिक्स मटेरियल) की टेस्टिंग मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराने के साथ मिक्स मटेरियल के वजन की धर्मकॉट की रसीद ली जावे अथवा सड़क के लेवल लिये जावे। प्रत्येक रनिंग देयक के साथ अधिकृत रिफायनरी के डामर के मूल बिल रसीद अनिवार्य रूप से लिये जावे।
3. सी.सी. रोड निर्माण कार्य करने के पूर्व आई.आर.सी. कोड अनुसार क्रस्ट/पेवमेंट डिजाईन तथा मिक्स डिजाइन का परीक्षण शासकीय पालिटेक्निक /इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया जाकर उसका अनुमोदन इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करे। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त करने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
4. तथ्यों को छुपाकर निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृति स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी जिसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
5. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना बयाना जमा निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
6. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे अन्य विभाग की भूमि होने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी अनापत्ती अथवा हस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्माण के दौरान खुदाई में प्राप्त सामग्री का अधिकतम उपयोग किया जावे एवं स्थल पर वास्तविक रूप से सम्पन्न कार्यों का ही भुगतान किया जावे।
7. भूमि विवाद की स्थिति में अथवा शासकीय विभाग द्वारा आपत्ती ली जाने पर तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
8. बड़ी परियोजना एकमुश्त प्रोजेक्ट समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य को प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
9. निर्माण कार्य के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे।
10. समस्त प्रकार रोड निर्माण में कॉमन यूटीलिटी डक्ट का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जावे।
11. उक्त तकनीकी स्वीकृति मूल कार्य के लिए प्रदाय की जा रही है रिवाईस्ड /सप्लीमेंट्री कार्यों के लिए नहीं। तथ्यों को छुपाने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।
12. सी.पी.डब्ल्यू. डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कॉक्रीट आदि का मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से निर्धारित आवृत्ति अनुसार परीक्षण कराया जावे। संतोषजनक परीक्षण परिणाम प्राप्त होना पर चलदेयको के भुगतान की कार्यवाही की जावे।
13. मध्यप्रदेश नगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम 2018 के अनुरूप सक्षम स्वीकृति प्राप्त करना बयाना जमा निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा जमा तथा निविदा प्रक्रिया आदि की कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।
14. सीमेन्ट कॉक्रीट एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण में स्टील सेन्टरिंग का उपयोग किया जावे। कॉक्रीट मिक्सिंग के लिए मिक्सर मशीन तथा वाईब्रेटर का उपयोग अनिवार्यतः किया जावे।
15. निर्माण कार्य स्वयं के अधिपत्य की भूमि में ही किया जावे किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। भूमि विवाद की स्थिति में तकनीकी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्

Harshvardhan Complex, Mata Mandir,
Chouraha, Bhopal (MP)- 462003
Email :- eebhopal@mpurban.gov.in
Website :-www.mpurban.gov.in

16. निजी/अवैध कॉलोनी में निर्माण करने पर तकनीकी स्वीकृती स्वमेव ही निरस्त मानी जावेगी। जिसके लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्णतः जवाबदार रहेंगे।
17. बड़ी परियोजना एकमुश्त प्रोजेक्ट समान स्वरूप के कार्य को विभाजित कर पृथक-पृथक ली गई तकनीकी स्वीकृती स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा इस तरह के कार्य प्रस्तावित करने के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे।
18. आर.सी.सी. नाली/नाला की स्ट्रक्चरल तथा मिक्स डिजाइन का परिक्षण शामकीय पालिटेक्निक /इंजीनियरिंग कॉलेज से कराया जाकर उमका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता में कराया जावे। अनुमोदित डिजाईन अनुसार कार्य कराए जाने पर कार्य की लागत में परिवर्तन की स्वीकृती प्राप्त करने का दायित्व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का रहेगा।
19. निर्माण के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. स्पेसिफिकेशन एवं यू.ए.डी.डी. स्पेसिफिकेशन का पालन सुनिश्चित किया जावे निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्यो में प्रयुक्त निर्माण सामग्री/कांक्रिट आदि का शासकीय प्रयोगशाला परीक्षण निर्धारित आवृत्ति अनुसार कराया जावे। साथ-साथ उक्त सम्बंध में समय-समय पर वरिष्ठ कार्यालय से दिये गये निर्देशों का पालन किया जावे एवं परीक्षण रिपोर्ट के संतुष्टीपूर्ण परिणाम प्राप्त होने पर ही चल देयकों का भुगतान किया जावे। कार्य के चल देयक, भुगतान के पूर्व उपयोग की गई समस्त सामग्रियों एवं कांक्रिट की टेस्ट रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।
20. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 237 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जावे।
21. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 217 के अनुसार अर्नेस्ट मनी एवं प्रतिभूति राशि कार्य की अनुमानित लागत या सामग्री या माल के अनुमानित मूल्य की जमा कराई जावे।
22. MP Municipalities (Accounts & Finance) नियम 2018 के नियम 91, 92 एवं 93 के प्रावधानों के अनुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।
23. सीमेन्ट कांक्रिट एवं आर.सी.सी. नाली में स्टील सेन्टरिंग का उपयोग किया जावे, जिससे नाली की दीवारो का सरफेस फिनिश प्राप्त हो एवं नाली यथासंभव स्ट्रेट निर्मित हो। मिक्सिंग के लिए कांक्रिट मिक्सर एवं कॉम्पेक्शन के लिए वायब्रेटर का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
24. आई.आर.सी. 58-2002 की क्लाज 4.6.2 के प्रावधान अनुसार कांक्रिट एवं ड्राईलीन कांक्रिट सबबेस के बीच में डी.एल.सी. के ऊपर सेप्रेसन मेमब्रेन पॉलीथीन शीट का उपयोग आई.एस.एस.आर. 10 मई 2012 के प्रावधान अनुसार सुनिश्चित किया जावे।
25. रोड के साईड में स्टील सेन्टरिंग (चेनल) का उपयोग किया जावे, जिससे कॉम्पेक्शन के समय लाईन डिस्टर्ब न हो। मिक्सिंग के लिए कांक्रिट मिक्सर एवं कॉम्पेक्शन के लिए प्लेट वायब्रेटर, नीडल वायब्रेटर एवं आयटम के प्रावधान अनुसार मशीनरी का उपयोग सुनिश्चित किया जावे। स्पेसिफिकेशन के अनुसार कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपान्शन एवं कन्ट्रैक्शन ज्वाइन्ट का प्रावधान रखा जावे।
26. कांक्रिट एम-20/30/40 कांक्रिट कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कांक्रिट हार्ड होने के पहले रोड की सेन्टर लाईन के परपेन्डिकुलर दोनो तरफ ड्रमिंग की जावे।
27. निर्माण कार्य की सक्षम प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।
28. निर्माण कार्य निजी/अवैध कॉलोनी में नहीं किया जावेगा, यदि कार्य सम्पादित किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा एवं दी गयी तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
29. कार्य टुकड़ों में/विभाजित होने की स्थिति में इसका दायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा तथा उक्त स्थिति में प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
30. सी.सी. रोड निर्माण के दौरान Expansion, Contraction एवं Longitudnal Joints का प्रावधान अनिवार्य रूप से स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाकर Dowel एवं Tie Bar Reinforcement दिया जावे।
31. If paver with electronic sensor, vibratory roller are not used at site and laying, compaction is done by any other method (The acceptance criteria regarding level, thickness, surface regularity, texture finish, strength of concrete and all other quality control measure shall be same as in case of machine laid work.)deductions in rates for the above is as per UADD ISSR 08.11.2025 And 02.08.2021.
32. निकाय द्वारा पूर्व में कराये गये कार्य का यदि अंतिम मूल्यांकन किये बिना नवीन कार्य लिये जाने की दशा में किसी भी प्रकार की वित्तीय क्षति होने की दशा में समस्त उत्तरदायित्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होगा।
33. निविदा आमंत्रण के पूर्व सक्षम प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रदाय की गई तकनीकी स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम्